

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या १७१ राँची, मंगलवार,

20 माघ, 1937 (श॰)

9 फरवरी, 2016 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग ।

अधिसूचना

8 फरवरी, 2016

संख्या-एल॰जी॰-35/2015-30—लेज॰ झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 7 फरवरी, 2016 को अनुमित दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम संख्या-05, 2016)

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन हेतु अधिनियम । एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः-

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
- (ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।
- (iii) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के प्रभाव से प्रवृत होगा।

2. धारा 18 की उपधारा (4) में संशोधन:-

(क) धारा 18 की उपधारा (4) की कंडिका (ii) में विद्यमान परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

"परन्तु यह कि अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री की जाने की स्थिति में वैसे क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के उपधारा (1) के अन्तर्गत किये गये वैसे बिक्री पर भुगतेय केन्द्रीय बिक्री कर की सीमा तक ही अनुमान्य रहेगा एवं शेष इनपुट टैक्स किसी भी भुगतेय कर, शास्ति अथवा ब्याज के विरूद्ध सामंजन हेतु उपलब्ध नहीं रहेगा।"

(ख) धारा 18 की उपधारा (4) की कंडिका (iii) में विद्यमान परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

''परन्तु यह कि अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में विनिर्माण अथवा प्रोसेसिंग अथवा खनन में प्रयुक्त मालों से उत्पादित मालों की बिक्री की जाने की स्थिति में वैसे क्रय पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के उपधारा (1) के अन्तर्गत किये गये वैसे बिक्री पर भुगतेय केन्द्रीय बिक्री कर की सीमा तक ही अनुमान्य रहेगा एवं शेष इन्पुट टैक्स किसी भी भुगतेय कर, शास्ति अथवा ब्याज के विरुद्ध सामंजन हेतु उपलब्ध नहीं रहेगा।"

3. धारा 18 की उपधारा 8 में संशोधन:-

धारा 18 के उपधारा (8) में विद्यमान कंडिका (ix) में एक परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जायेगाः-

" परंतु इस कंडिका के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के संबंध में, इनपुट कर क्रेडिट अंतिम उत्पाद के उत्पादन में सीध प्रयुक्त कच्चे माल पर 4% से अधिक अदा किए गए कर पर अनुमत किया जा सकेगा।"

उपरोक्त परन्तुक में शब्द समूह, ''वैसे सामानों पर'' के पश्चात् प्रयुक्त शब्द **''4 %''** को दिनांक 13.5.2015 के प्रभाव से ''**5** %'' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. धारा 63 की उपधारा (1) में संशोधनः-

धारा 63 की विद्यमान उपधारा (1) में शब्द समूह ''सकल आवर्त'' के पश्चात् शब्द **''40 लाख''** के स्थान पर शब्द **''60 लाख'**' को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से, बी0 बी0 मंगलमूर्ति, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

8 फरवरी, 2016

संख्या-एल॰ जी॰-35/2015-31/लेज॰ झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2016 को अनुमत झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2015

(Jharkhand Act 05, 2016)

An Act to amend Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006)

Be it enacted in the Sixty sixth year of the Republic of India by the State Legislature in the following manner:-

1. Short title, extent and commencement-

- (i) This Act may be called the Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2015.
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (iii) It shall be deemed to be effective from 01-04-2015.

2. Amendment in sub-section (4) of section-18

(a) The existing proviso in clause (ii) of sub-section (4) of Section-18 shall be substituted in the following manner:-

"Provided that the input tax credit on such purchases when sold in course of interstate trade and commerce shall be allowed only to the extent of Central Sales Tax payable on such sales made under sub-section (1) of section 8 of The Central Sales Tax Act, 1956 and balance input tax shall not be available for adjustment from any tax, penalty or interest payable."

(b) The existing proviso in clause (iii) of sub-section (4) of Section-18 shall be substituted in the following manner:-

"Provided that the input tax credit on such purchases when used for manufacturing or processing or mining of such goods sold in course of interstate trade and commerce shall be allowed only to the extent of Central Sales Tax payable on sales of such finished or mined goods made under subsection (1) of section 8 of The Central Sales Tax Act, 1956 and balance input tax shall not be available for adjustment from any tax, penalty or interest payable."

3. Amendment in sub-section (8) of section- 18

In the existing clause (ix) of sub-section (8) of Section-18, a proviso shall be added in the following manner:-

"Provided that in respect of transactions falling under this clause, input tax credit may be allowed on the tax paid in excess of 4% of the such materials used in the manufacture of the finished products."

In the above proviso, "4%" appearing after the words "in excess of" shall be substituted by "5%" with effect from 13-05-2015.

4. Amendment in sub-section (1) of Section-63

In the existing sub-section (1) of Section-63, the word,"40 lakh" appearing after the words "a dealer exceeds" shall be substituted by the word"60 lakh".

झारखंड राज्यपाल के आदेश से, बी0 बी0 मंगलमूर्ति, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।
